भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

13.08.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 5000

परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियां

5000. श्री एम.के. राघवन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को मौजूदा कार्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या परमाणु विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को किस सीमा तक अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, नहीं। वर्ष 2013-14 में, देश में हुए कुल विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय विद्युत आधारित बिजली के उत्पादन का हिस्सा लगभग 3.5 प्रतिशत था।

(ग), (घ) तथा (ड.) वर्तमान में, नाभिकीय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने में निजी भागीदारी की अनुमति, एक सरकारी कम्पनी के कनिष्ठ ईक्विटी भागीदार के तौर पर दी गई है। वर्तमान में, भारत में निजी क्षेत्र में, कम्पनियाँ, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के क्षेत्र में, संघटकों, उपस्करों तथा कार्य अनुबंधों (वर्क कान्ट्रैक्ट) के माध्यम से, प्रमुख रूप से भागीदारी कर रही हैं।

* * * * * * *